

अत्यावश्यक
पंचायत उप चुनाव, 2023

पत्र संख्या-प0नि0 30-11/2023-1806
प्रेषक,



राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

मुकेश कुमार सिन्हा,
सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),
रोहतास।

पटना, दिनांक-20 मई, 2023

विषय:- पंचायत उप निर्वाचन 2023 को रद्द करने के संबंध में।
प्रसंग:- जिला पदाधिकारी, रोहतास का पत्रांक 1499 दिनांक 20.05.2023
महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन जिसमें नोखा प्रखंड के ग्राम पंचायत सिसिरिता प्रा0नि0क्षे0सं0 07 के मतदाता सूची में तत्समय प्रवृत्त विधान सभा के अनेक मतदाताओं का नाम सम्मिलित नहीं हैं, जिसका विवरणी निम्नवत् है :-

क्र0सं0	जिला	प्रखंड	पंचायत	निर्वाचन का पद	मतदाता सूची में त्रुटि
1	2	3	4	5	6
1	रोहतास	नोखा	सिसिरिता	ग्राम पंचायत सदस्य-07	वार्ड सं0-07 में ग्राम पंचायत सदस्य का निर्वाचन होना है। जिसके लिए प्रकाशित मतदाता सूची में विधानसभा के लगभग 260 मतदाताओं का नाम सम्मिलित नहीं हो पाया है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में आयोग द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि जिला रोहतास, प्रखंड नोखा अन्तर्गत ग्राम पंचायत सिसिरिता के प्रा0नि0क्षे0सं0-07 में भारत के संविधान के अनुच्छेद, 243K एवं बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 123 सह पठित बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 116 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर आयोग द्वारा पंचायत उप निर्वाचन 2023 को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। उक्त रिक्त पद पर निर्वाचन कालक्रम में सम्पन्न कराये जायेंगे।

आपके जिले के शेष रिक्त पदों की निर्वाचन प्रक्रिया प्रासंगिक पत्र के अनुसार अप्रभावित रहेगी।

अनुरोध है कि तदनुसार कार्रवाई की जाय एवं तत्संबंधी निदेश से संबंधित निर्वाची पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारी तथा सभी संबंधित को अवगत कराना सुनिश्चित की जाय।

विश्वासभाजन,

सचिव।

ज्ञापांक प0नि0 30-11/2023-1806

पटना, दिनांक-20 मई, 2023

प्रतिलिपि : आई0टी0मैनेजर को आयोग के वेबसाईट पर पत्र अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक प0नि0 30-11/2023-1806

पटना, दिनांक-20 मई, 2023

प्रतिलिपि : आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक प0नि0 30-11/2023-1806

पटना, दिनांक-20 मई, 2023

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।